न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/06/2003/भरतपुर

1. रहमान पुत्र बुद्धी जाति मेव निवासी उदाका तहसील कामा जिला भरतपुर

–अपीलार्थी

बनाम

1. कमाल पुत्र खज्जू जाति मेव निवासी उदाका
2. बगदू पुत्र उम्मेद जाति मेव निवासी उदाका
3. इब्राहिम
4. नवाब
5. अशरू पिसरान धमाली जाति मेव निवासी टायटा मजरा उदाका तहसील कामा जिला भरतपुर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 04.01.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–10–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी कमाल की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955की धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत विवादित आराजी खसरा नम्बर 622 मिन रकबा 1.14बीघा व खसरा नम्बर 622 मिन रकबा 2.04बीघा बाबत् प्रतिवादीगण रहमान, बगदू के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–04–1984 से डिक्री किया जाकर वादी कमाल को विवादित आरजी का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी बगदू वगैराह के शिकमी के अंकन को कलमजन करने के आदेश दिये। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में दो अपील संख्या 740/1984 बउनवानी बगदू बनाम कमाल व 95/1984 बउनवानी रहमान बनाम कमाल प्रस्तुत की गयी, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 27–07–1988 से राजीनामा अनुसार स्वीकार की गयी। इस निर्णय के विरूद्ध इब्राहिम व फौजू की ओर से दो अपीले राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसे मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–07–1997 से स्वीकार कर प्रकरण अपीलीय न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों को पुनः दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई एक ही निर्णय दिनांक 23–10–2002 से अपील संख्या 95/1984 (254/2000) खारिज कर रेस्पोडेन्ट इब्राहिम, नवाब, असरू पिसरान धमाली के पक्ष में जो बयनामा कमाल के द्वारा कराया है, उसे यथावत रखा जाता है। इसी तरह फौजू को भी कमाल द्वारा बयनामा कराया है, उसे भी यथावत रखा तथा अपील संख्या 740/1984 (253/2000) बगदू बनाम कमाल में अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को को दखते हुए खसरा नम्बर 622 मिन रकबा 03बीघा के सन्दर्भ में अपील आंशिक स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है परन्तु खसरा नम्बर 622 मि रकबा 2. 04बीघा के बारे में पारित निर्णय यथावत रहेगा तथा कमाल के द्वारा

फौजू के पक्ष में खसरा नम्बर 644/1.1बीघा के सन्दर्भ में जो बयनामा कराया है, उसे भी यथावत रखा गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 254/2000 (955/1984) में पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विरोधाभासी एवं न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष दो अपील प्रस्तुत की गयी थी, अपीलीय न्यायालय ने पक्षपातपूर्ण रूप अपनाते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 कमाल की अपील को स्वीकार कर लिया एवं अपीलार्थी की अपील के बारे में यह आदेश पारित किया कि खसरा नम्बर 622 मिन 2.04बीघा के बारे में पारित निर्णय यथावत रहेगा तथा कमाल के द्वारा फौजू के पक्ष में खसरा नम्बर 644/1.1 के सन्दर्भ में जो बैयनामा कराया है, उसे भी यथावत रखा जाता है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय को पूरा प्रकरण ही रिमाण्ड कर देना चाहिए था, जो नहीं कर आधा प्रकरण रिमाण्ड कर तथा आधार प्रकरण यथावत रखने में महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने कमाल द्वारा किये गये बैयनामे को बहाल रखने में कानूनी भूल की है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. हमने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णय का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी कमाल की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 व 188 के अन्तर्गत विवादित आराजी खसरा नम्बर 622 मिन रकबा 1.14बीघा व खसरा नम्बर 622 मिन रकबा 2.04बीघा बाबत् प्रतिवादीगण रहमान, बगदू के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थी रहमान ने वादी कमाल के पक्ष में इकबाली जवाबदावा पेश किया था, जिसके आधार पर उक्तखसरा नम्बरान के आधे रकबे पर कमाल को खातेदार दर्ज किया। तत्पश्चात् कमाल ने खसरा नम्बर 622 रकबा 2.04बीघा में अपने आधे हिस्से को इब्राहिम, नवाब व असरू को विक्रय कर दिया। इसके उपरान्त रहमान के द्वारा अपील की गयी तो उसके पक्ष में कमाल ने राजीनामा पेश कर दिया। जबकि पूर्व में वादी कमाल के पक्ष में प्रतिवादी रहमान की ओर से इकबाली जवाबदावा पेश किया, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय ने डिकी पारित की थी तथा इकबाली दावे को अपीलार्थी रहमान द्वारा किसी भी कोर्ट में चैलेन्ज नही किया गया है। ऐसी स्थिति में इकबाली जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अन्तिम हो चुका है। इसके अलावा रहमान के पक्ष में आराजी का विक्रय करने के बाद वादी कमाल का दिया गया राजीनामा विधि के परिप्रेक्ष्य में त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय से अपीलार्थी रहमान की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 254/2000 बउनवानी रहमान बनाम कमाल को खारिज करने में किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधनिकता कारित नहीं की गयी है, ना ही किसी

प्रकार कोई क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित की है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–10–2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य